मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 2022007062

शहर में बलात्कारी-हत्यारे बेख़ौफ़ हैं और जनता दहशतज़दा 2
खट्टर के 'अनमोल' बोल केवल मंत्री संदीप के लिये ही क्यों 4
राहुल गांधी को एसपीजी सुरक्षा कवच मिले 5
कानून व फ्यूहरर की इच्छा एक ही बात है 6
पीएमओ डॉ. सविता ने ओपीडी में मरीज देखे 8

वर्ष 37 | अंक 8 | फरीदाबाद | 8-14 जनवरी 2023 | फोन-8851091460 | ₹ 5.00

शर्मनाक : कोच यौन उत्पीड़न एफआईआर चंडीगढ़ मे हुई, हरियाणा ने आरोपी मंत्री के पक्ष में एसआईटी गठित की

चंडीगढ़ (म.मो.) हरियाणा के खेलमंत्री संदीप सिंह द्वारा की गई बद्तमीज़ी, छेड़छाड़ एवं धमकियों के विरुद्ध महिला एथलीट की शिकायत पर जब डीजीपी मुख्यमंत्री व गृहमंत्री ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो पीड़िता को हरियाणा स्टेट एथलेटिक एसोसिएशन के अध्यक्ष, विधायक अभय चौटाला के माध्यम से मीडिया में जाना पड़ा। इतना ही नहीं सत्ता के नशे में चूर इन लोगों ने महिला खिलाड़ी से सीधे बात तक नहीं की। अपने स्टाफ़ द्वारा ही उन्हें चुप रहने, पंगा न लेने तथा जान का भय दिखा कर दबाने का प्रयास कराया।

लेकिन जब मामला चौटाला के माध्यम से मीडिया में छा गया तो मजबूरन पीड़िता की शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस को संदीप सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 342 तथा 506 के तहत थाना सेक्टर 26 में एफआईआर

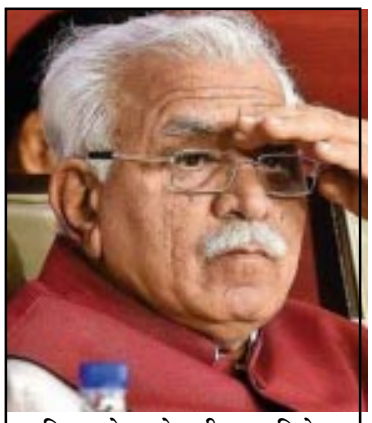
महिला कोच को तभी न्याय मिलेगा जब जनता खट्टर को घेरेगी ?

करनी पड़ी। इसके साथ-साथ संदीप सिंह को मंत्रीमंडल से बर्खास्त करने के बजाय उससे केवल खेल विभाग लेने का दिखावा कर मामले को शान्त करना चाहा। इतना ही नहीं खट्टर जी ने हरियाणा पुलिस की भी एक एसआईटी आरोपी संदीप के पक्ष में बयान और प्रचार के लिए अलग से बना दी जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कार्रवाई करने की नीयत होगी तो चंडीगढ़ पुलिस ही काफी होगी। स्पष्ट है कि यह सब खट्टर सरकार को तब करना पड़ा जब मामला राजनीतिज्ञों और मीडिया के बीच पहुंच गया।

राज्य की जागरूक जनता खट्टर की इस नाटकबाजी को बखूबी समझती है। आये दिन देखा जाता है कि इस तरह के मामलों में पुलिस तुरन्त मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करती है। लेकिन यहां पहले दिन से ही सरकार की नीयत पर सवालिया निशान लग गया था। सरकार ने यह जता दिया था कि वह तब तक कुछ नहीं करती जब तक कि जनता उसके विरुद्ध जूत लेकर खड़ी न हो जाये। इसी हकीकत को समझते हुए पीड़िता के गांव की खाप पंचायतों ने सोमवार को झज्जर जिले के गांव डाबला में बैठक कर प्रस्ताव पास किया कि यदि सात जनवरी तक मंत्री संदीप को बर्खास्त करके गिरफ्तार न किया गया तो जो कड़े कदम पंचायत उठायेगी उसके लिये खट्टर सरकार स्वयं जिम्मेवार होगी।

राज्य महिला आयोग जो हर छोटी-छोटी बात पर उछल-कूद करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहता है, इस मामले में मुंह ढक कर सोया हुआ है। कुछ महिला संगठनों ने आयोग को जगाने के लिये आवेदन तो किया है परन्तु अभी तक उसकी कोई सक्रियता नजर नहीं आई। हां, आम आदमी पार्टी की ओर से जरूर धरने प्रदर्शन आदि का दौर शुरू हो चुका है। पीड़िता के हक में बढते जा रहे जन समर्थन से डरी सरकार मामले पर लीपा-पोती करने में जुटी है। लेकिन जन समर्थन का ये जूत ज्यों-ज्यों भारी होता जायेगा त्यों-त्यों खट्टर सरकार संदीप की बर्खास्तगी तथा गिरफ्तारी जैसे कदम उठाने को मजबूर होती जायेगी। जाहिर है आम जनता शान्तिपूर्वक रहकर कानून का न्यायसम्मत राज चाहती है। परन्तु सरकार तब तक न्याया नहीं होने देती जब तक जनता उग्र होकर उसे न घेर ले।

दूसरी ओर लीपा-पोती का ड्रामा करते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने पीड़िता से तो आठ घंटे तक, थाने में बुला कर पूछताछ कर ली है। लेकिन आरोपी को थाने बुलाने की हिम्मत वह नहीं जुटा पाई। उसकी कोठी पर पूछताछ करने गई तो घंटों गेट पर बैठ कर ही वापस आ गई। ऐसी पुलिस से भला कोई क्या उम्मीद कर सकता है? उधर मामले को लम्बा खींच कर पीड़िता से सौदेबाज़ी का प्रयास पूरे जोरों पर है। पीड़िता के मुताबिक उसे एक करोड़ रुपये की पेशकश के साथ देश छोड़ने की बात कहीं जा रही है।

शहर की 4 कि. मी. सड़क के लिये 29 करोड़, देहात की 170 कि.मी. के लिये 70 करोड़ भी नहीं

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहर को ग्रामीण इलाकों से जोड़ने वाली करीब 170 कि.मी. सड़कों की हालत सुधारने के लिये मुख्यमंत्री खट्टर ने एक साल पहले 70 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी। घोषणावीर खट्टर की घोषणा आज भी ज्यों की त्यों खड़ी है और खड़ी ही रहेगी। दूसरी ओर शहर के भीतर 4-5 कि.मी. सड़क के लिये 29 करोड़ मिल चुके हैं। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के नाम पर तीन हजार करोड़ रुपये खर्च करके बनी-बनाई सड़कों व सीवरेज आदि दोबारा से बनाने पर तीन हजार करोड़ रुपये से ज्यादा ठीकाने लगा दिये गये हैं।

शहर के भीतर का सारा काम नगर निगम, एफएमडीए तथा स्मार्ट सिटी कम्पनी द्वारा किये जाते हैं। इन तीनों ही एजेंसियों में इंजीनियरिंग का धंधा करने वाले सभी धंधेबाज एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। नगर निगम में रह कर ही अनपढ़ इंजीनियरों ने काम के नाम पर लूट कमाई करने में अच्छी-खासी महारत पा रखी है।

वहां से रिटायर होने के बाद ये सभी तिकड़मबाज एफएमडीए तथा स्मार्ट सिटी कम्पनी में आने के बाद अपने जोहर दिखा रहे हैं। इनके ऊपर बैठे सरपरस्त आईएएस अफ़सर भी काफ़ी धाकड़ हैं। वे सरकार से मनचाहे बजट ऐंठने की क्षमता भी रखते हैं।

दूसरी ओर पीडब्लूडी, जो शहर के बाहर की सड़कें बनाता है, उसके इंजीनियर तो पढ़े-लिखे हैं, थोड़े कमीशन में भी काम चला लेते हैं। उनके ऊपर बैठे बड़े अफसरशाहों का दायरा पूरे राज्य भर में फैला होने के चलते कुल बजट शहरी बजट से कहीं ज्यादा हो जाता है। इसलिये उनकी गुजर-बसर भी ठीक-ठाक हो जाती है। हां, भुगतना पड़ता है तो केवल सड़कों पर चलने वाली जनता को। खड्डेदार सड़कों पर आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं से उन्हें जान-माल का काफ़ी नुक्सान होता रहता है। उस पर खट्टर जी अपनी घोषणाओं का ठंढा फोआ लगाते रहते हैं।

गौरतलब है कि खट्टर के पास आईडीआईडी का खेल खेलने वाले अपने संघी साथी को देने के लिये 57 करोड़ हैं। अच्छे-भले राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम का सत्यानाश कराने के लिये गुजराती ठगों को 222 करोड़ रुपये देने को भी हैं। इतना ही नहीं आये दिन मीडिया में अपनी फोटो वाले विज्ञापन प्रकाशित कराने पर सैंकड़ों करोड़ खर्च करने को भी हैं। बस केवल ग्रामीण सड़कों के लिये तथा अन्य जनहितकारी कामों के लिये फंड नहीं है।

भ्रष्टाचारियों की संपत्तियां कुर्क करने की खोखली घोषणा

हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और

चंडीगढ़ (म.मो.) घोषणायें करने में घोषणावीर खट्टर का मुकाबला शायद ही कोई कर पाये। वे फरमाते हैं कि काली कमाई करने वाले थोड़ी-बहुत जेल काट कर लूटी हुई काली कमाई से मौज उड़ाते रहते हैं। अब वे कैद काटने के साथ-साथ काली कमाई से भी वंचित कर दिये जायेंगे। उनकी सारी संपत्तियां कुर्क कर ली जायेंगी।

खट्टर जी यह नहीं बताते कि यह कानून पटवारी थानेदार सरीखे छोटे-मोटे कर्मचारियों तक ही सीमित रहेगा या बड़े-बड़े नौकरशाह तथा राजनेता व उनके राजनीतिक सलाहकार भी इसकी जद में आ सकेंगे या नहीं? फ़रीदाबाद में हो चुके नगर निगम के 200 करोड़ रुपये के घोटाले में कानून सिर्फ़ छोटे-मोटे कर्मचारियों व ठेकेदारों को ही लपेट पाया है। घोटाले के लिये असल जिम्मेदार आईएएस अफ़सरों के सामने कानून मेमने की तरह मिमिया रहा है। सभी जानते हैं कि उक्त पांचों आईएएस अफ़सरों में से किसी को भी छू पाने की ताकत इस कानून में नहीं है। रिकवरी तो एक धेले की भी नहीं हाने वाली।

सरकार के इन्हीं लक्षणों को देखते हुए 200 करोड़ जैसे घोटालों पर आज भी कोई रोक नहीं है। एक घोटाले की जांच का नाटक चल रहा है तो नये-नये घोटाले रोजाना सरेआम होते सबको नज़र आ रहे हैं। यदि खट्टर जान-बूझकर उनके प्रति आंखें मूंद लें तो कोई क्या करे? इस लूट में छोटे से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी तथा तमाम राजनेता शामिल हैं। किसी भी दफ्तर में, आज के दिन कोई भी काम बिना रिश्वत दिये नहीं हो पा रहा। यह रिश्वतखोरी भी कोई लुक-छिप कर नहीं बल्कि मेज पर मुक्का मार कर हो रही है। हर रिश्वतखोर, राजनेताओं को मोटी रिश्वत देकर लूट कमाई की सीट उतने दिन के लिये हथियाता है जितने दिन का उसने चढावा दिया होता है। उसी सीट पर दोबारा कायम होने के लिये रिन्यूवल फीस की तरह फिर से चढावा चढाना पड़ता है।

मोटा चढावा चढाने वालों अथवा नेताओं की हिस्सा- पत्ती में काम करने वाले अफसरों आदि के खिलाफ़ मुकदमे दर्ज हो जाने अथवा रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती। इसका जीता-जागता उदाहरण धनेश अदलक्खा है जिसे शत्रुजीत कपूर की विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों पकड़ कर मुकदमा दर्ज किया था, खट्टर ने उसका नाम ही एफआईआर से निकलवा दिया। इसी तरह फ़रीदाबाद की डीईओ मुनीष चौधरी द्वारा 27 लाख के गबन मामले में कोर्ट द्वारा मुकदमा दर्ज कराये जाने के बावजूद खट्टर ने उसके विरुद्ध होने वाली कानूनी कार्रवाई को रोक दिया है।